न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण सं0 09/22 (99/97)

बृजलाल पुत्र श्री नोरंग राम जाति बिश्नोई साकिन 33 एम पी तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

श्योकरण पुत्र सही राम जाति बिश्नोई साकिन 33 एम पी तहसील रायसिंहनगर

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 06-06-22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

सक्षेंप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्योकरण पुत्र सही राम स्वंय के नाम से चक 33 एन पी में मु0 नं0 39 में 1-04 बीघा नहरी, मु0 नं0 42 के 8-00 बीघा नहरी, मु0 नं0 43 में 2-10 बीघा नहरी, मु0 नं0 48 में 6-00 बीघा नहरी, मु0 नं0 40 में 25-00 बीघा नहरी, मु0 नं0 41 में 2-00 बीघा नहरी व मु0 नं0 48 में 12-10 बीघा नहरी भूमि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त रकबा पूर्व में होते हुए अप्रार्थी ने सरकार को धोखा देकर चक 33 एन पी का ही मु0 नं0 36 के 25-00 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन करवा रखी है व मु0 नं0 10 के 12-10 बीघा नहरी भूमि आवंटन करवायी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जॉच की जाकर आवंटन खारिज किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 5-9-2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पास मु0 नं0 37-41-42-43 व 44 में कोई भूमि नहीं है। अप्रार्थी को केवल मु0 नं0 10 का 3.103 है0 भूमि भूमिहीन के रूप में आवंटित हुई है जो उसके कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी द्वारा किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है इसलिए प्रकरण पर धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थी को खातेदारी सनद प्राप्त हो चुकी है इसलिए खातेदारी सनद मिल जाने के बाद रकबा खारिज नहीं किया जा सकता है। शिकायत रंजिशवश फर्जी व्यक्ति द्वारा की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा हल्फनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और वह शिकायत को आगे नहीं चलाना चाहता है। तकनीकी आधार पर आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। आवंटन पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी के पास आवंटन से पूर्व नहरी भूमि थी । अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपा कर चक 33 एम पी के मु0 नं0 37 के 25-00 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन करवा रखी है व मु0 नं0 10 के 12-10 बीघा नहरी भूमि आवंटन करवायी है। अतः तथ्यों को छिपा कर करवाया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अप्रार्थी द्वारा केवल चक 33 एन पी के मु0 नं0 37 के 25-00 बीघा बारानी भूमि पुख्ता आवंटन करवाई है। मु0 नं0 10 की 3.103 है0 भूमि भूमिहीन के रूप में आवंटित हुई है जो अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी के पास मु0 37-41-42-43-44 में कोई भूमि नहीं है। हस्तगत प्रकरण पर धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थी के नाम से खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। खातेदारी सनद जारी होने के बाद रकबा खारिज नहीं कियां जा सकता है। शिकायत रंजिशवश फर्जी व्यक्ति बनकर पेश की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है तथा वह शिकायत को आगे नहीं चलाना चाहता है। वर्ष 1961 का आवंटन है, खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद 61 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद आवंटित रकबा खारिज नहीं किया जा सकता है। 25 बीघा बारानी आवंटित हुआ है जिसको नहरी में परिवर्तित करने पर 25/3 बराबर 8.07 बीघा नहरी रकबे के बराबर होता है तथा मु0 नं0 10 की 12-10 बीघा नहरी भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थी के धारण में 20-17 बीघा नहरी भूमि है जबकि वह 25-00 बीघा नहरी भूमि की सीमा तक आवंटन करवाने का पात्र है। अतः शिकायत रंजिशवश व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में 2021(2) डी एन जे (रेवेन्यू) 975, आर आर डी 1986 पेज 137 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं तथा न्यायालय का ध्यान राजस्थान उप निवेशन (गंगनहर .... विक्रय) नियम 1956 की धारा 4 की ओर आकर्षित करवाया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, रायसिंहनगर की भूमि के संबंध में रिपोर्ट क्रमांक 630 /98/2608 दिनांक 21-07-98 के अनुसार :-

चक 33 एन0पी0 के मु0न0 37 में 25-00 बीघा बारानी भूमि जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6444 दिनांक 29-3-61 द्वारा अप्रार्थी के सही राम पुत्र जिया राम को पुख्ता आवंटित किया गया है। सही राम का देहान्त हो चुका है। उक्त रकबे पर मीरां बेवा सही राम का कब्जा काश्त है। उक्त रकबे के अलावा मु0 मीरां बेवा सही राम के नाम से चक 33 एन0पी0 के मु0 न0 39-42-43-48 में 3.619 है0 नहरी भूमि खातेदारी रकबा है।

हस्तगत प्रकरण मे अप्रार्थी श्योनारायण के पिता सही राम के पास चक 33 एन पी के मु0 नं0 37 में 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 29-3-61 का है तथा सही राम की पत्नी मु0 मीरां के नाम से चक 33 एन पी के मु0 न0 39,42,43 व 48 में 3.619 है0 नहरी रकबा खातेदारी है। इस प्रकार बारानी भूमि 25 बीघा को नहरी में परिवर्तित करने पर 8 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि तथा 12-10 बीघा चक 33 एन पी की नहरी भूमि कुल 20 बीघा 17 बिस्वा नहरी भूमि अप्रार्थी के धारण में बनती है जिसे राजकीय अधिवक्ता भी स्वीकार करते हैं एवं इस तथ्य की पुष्टि राज्य पक्ष की रिपोर्ट (रिपोर्ट दिनांक 21-7-98) से भी होती है।

राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर ....) विक्रय) नियम, 1956 की धारा 4 आवंटन की परिसीमा निमन प्रकार से परिभाषित की गई है :-

(1) नियम 3 के अधीन आवंटन के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम भूमि, जो आवंटित की जा सकेगी, उपलब्धता के अध्यधीन बारह मास सीचिंत भूमि के 25 बीघा एवं गैर बारह मास सिचिंत भूमि के 50 बीघा से अधिक नहीं होगी।

परन्तु भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 में अधिकथित अधिकतम क्षेत्र के अध्यधीन होगा।

(2) जहॉ बारह मास सिचिंत और गैर बारह मास सिंचित दोनों भूमि या बारानी भूमि एक ही व्यक्ति द्वारा धारित है, या उसे आवंटित की जाती है, तो इस प्रकार धारित या आवंटित भूमि के क्षेत्र का निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए बारह मास का एक बीघा, गैर बारह मास सिचिंत भूमि के दो बीघा एवं बारानी भूमि के तीन बीघा के बराबर समझा जायेगा।

हस्तगत प्रकरण में उक्तानुसार भूमि की गणना की गई है।

2021 (2) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 976 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) व 20 - अपीलांट ने आवंटन आदेश को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner

चुनौति दी – कलक्टर ने परिवाद/निगरानी खारिज की – अपील खारिज – रेकार्ड में भूमि आवंटी के नाम दर्ज है – भूमि के आवंटन में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की – खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता – समवर्ती निष्कर्ष – निर्णीत, अपील में बल नहीं है व खारिज की।

आर आर डी 1986पेज 137 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

Allotments Rules, 1970, R.14[4] -- Not applicable to allottees who acquired khatedari rights -- Once gets khatedari rights, he acquires all rights, conferred by R.T. Act -- Land, allotted on 29-10-77 to non applicant No. 1 on whom khatedari rights, conferred on 23-12-83 by mutation and then he sold land to whom applicant Nos. 2 &3 on 24-1-84 -- Application dt. 9-8-84 u/s 14[4], rightly dismissed by Addl. Collector holding that Rules of 70, not applicable after acquisition of khatedari rights.

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आदेश क्रमांक 6444 दिनांक 29–8–61 द्वारा सही राम पुत्र जिया राम को चक 33 एन पी के मु0 नं0 37 की 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली में ही संलग्न कमेटी की राय के अनुसार सायल को चक 33 एन पी में मु0 नं0 10 का 10 बीघा नहरी व मु0 नं0 37 की 25 बीघा बारानी भूमि अलॉट है। सायल मु0 नं0 10 की 10 बीघा नहरी भूमि छोड़ना चाहता है और इसकी बजाय इसी चक का मु0 नं0 49 जिसमें 9 बीघा नहरी व 3 बीघा 2 बिस्वा बारानी जमीन लेना चाहता है और मु0 नं0 37 की 25 बीघा बारानी भी लेना चाहता है। इसलिए सायल को चक 33 एन पी का मु0 नं0 49 की 12 बीघा 2 बिस्वा (नहरी छः मासी 9 बीघा, बारानी 3 बीघा 2 बिस्वा) जो राज का खाली पड़ा है को मु0 नं0 37 की 25 बीघा बारानी मन्जूर शुदा कीमत वा शरायत पर दिया जाना चाहिये। उक्त कमेटी की राय के आधार पर दिनांक 25–4–61 को चक 33 एन पी में मु0 नं0 37 की 25 बीघा बारानी 1952 से आराजी काश्त पर चला आ रहा है इसलिए यह रकबा प्रार्थी को पुख्ता अलॉट किया जाना मन्जूर है। दिनांक 25–4–61

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अप्रार्थी को चक 33 एन पी के मु0 नं0 37 में 25 बीघा बारानी भूमि का आवंटन दिनांक 29–3–61 को हुआ है तथा सही राम की पत्नी मु0 मीरां के नाम से चक 33

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

एन पी के मु0 नं0 39,42,43 व 48 में 3.619 है0 नहरी रकबा खातेदारी है। इसी प्रकार बारानी भूमि 25 बीघा को नहरी में परिवर्तित करने पर 8 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि तथा 12—10 बीघा चक 33 एन पी की नहरी भूमि कुल 20 बीघा 17 बिस्वा नहरी भूमि अप्रार्थी के धारण में बनती है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन के समय किसी तथ्य को छिपाया जाना प्रतीत नहीं होता है। शिकायत प्रार्थना पत्र मेंआवंटन से पूर्व जिस भूमि का उल्लेख किया गया है, वह तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं होती है। अतः शिकायत निराधार होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अनारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।